न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक 28.03.2025

अपील संख्या 01/25

कमलेश पत्नी प्रकाश जाति कोली निवासी कस्बानौनेरा तहसील शाहाबाद जिला–बारां राज0 अपीलांट

बनाम

1–गुलाब पत्नी श्रीलाल जाति कोली निवासी कस्बानौनेरा तहसील शाहाबाद जिला–बारां
2–कस्तूरी पत्नी मुकेश जाति कोली निवासी कस्बानौनेरा तहसील शाहाबाद जिला–बारां
3–ग्राम पंचायत बिची जर्ये सरपंच ग्राम पंचायत बिची तहसील शाहावाद जिला–बारां
4–स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला–बारां राज0

रेस्पो0

अपील विरूद्व नामान्तरकरण कमांक 330 दिनांक 12.10.2010 ग्राम घेंसुआ पटवार हल्का बिची तहसील शाहावाद अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

<u>निर्णय–दिनांक 15.04.2025</u>

उपस्थित–
1. अपीलांट की ओर से–श्री कुवेर यादव एडवोकेट
2. रेस्पो. की ओर से – एकपक्षीय

अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम घेंसुआ पटवार हल्का बिची तहसील शाहावाद में ख0नं0 71 रकबा 11.16 बीघा कृषि भूमि को अपीलांट व रेस्पो0 कम 1 व 2 जरिये विकयपत्र नब्बोबाई पत्नी श्यामबाबू कोली से कय की थी, जिसका नामान्तरकरण नं. 330 दिनांक 12.10.2010 है, उक्त नामान्तरकरण अवैध विधि विरूद्व होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का नाम विकयपत्र में कमलेश दर्ज होते हुये भी अपीलाधीन नामान्तरकरण में कमलेश के स्थान पर मलेश दर्ज किया गया है, जो गलत है। रेस्पो0 कम 1 व 2 के नाम सही दर्ज है., जिस पर अपीलांट को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपीलांट का नाम कमलेश के स्थान पर मलेश दर्ज किये जाने से नामान्तरकरण डिफेक्टिव होकर खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 12.10.2010 अपीलांट के ज्ञान में नहीं था दिनांक 03.01.2025 को अपीलाधीन नामान्तरकरण की नकल प्राप्त होने पर अपीलाधीन नामान्तरकरण का ज्ञान हुआ। ज्ञान के अभाव में अपील पेश करने में हुआ बिलम्व सद्भाविक होकर क्षमन किये जाने योग्य है, तिथी जानकारी से अपील अवधि मध्य माननीय न्यायालय में [illegible] अतः अपील पेश कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि अपीलाधीन [illegible] संख्या 330 दिनांक 12.10.2010 ग्राम घेंसुआ तहसील शाहावाद जिला बारां राज0 [illegible] निरस्त किया जाकर अपीलांट व रेस्पो0 कम 1,2 के नाम नामान्तरकरण दर्ज [illegible] का आदेश प्रदान करें। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी की गई। रेस्पो0 के [illegible] सूचना अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय सुनवाई की गई। अपीलांट को सुना गयां। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट का मूल रूप से कथन है कि अपीलाधीन नामान्तरण में अपीलांट का नाम मलेश दर्ज किया गया है, जबकि विकयपत्र में अपीलांट का नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:40:30 IST
Reason: SelfAttested

15/04/2025

कमलेश दर्ज है। संलग्न पत्रावली प्रति नामान्तरकरण नंबर 330 ग्राम घेंसुआ दिनांक 12.10.2010 जो विक्रयपत्र दिनांक 05.07.2010 की पालना में दर्ज किया गया है, इस विक्रयपत्र की प्रति भी अपीलांट द्वारा पेश की गई है, जिसमें केता के रूप में अपीलांट का नाम कमलेश दर्ज है, इसके बावजूद अपीलाधीन नामान्तरकरण में कमलेश के स्थान पर मलेश नाम दर्ज किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण पाया जाता है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण नंबर 330 ग्राम घेंसुआ दिनांक 12.10.2010 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार शाहावाद को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि विक्रयपत्र दिनांक 05.07.2010 की जांच कर तथा अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः नामान्तरकरण दर्ज करें। पालनार्थ तहसीलदार शाहावाद को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 15.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

15/04/2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:40:30 IST
Reason: SelfAttested